समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क्रं. / II / 2016 / निगरानी

धर्मेन्द्र पुत्र कैलाश नारायण,
जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम कराहल
तह.कराहल जिला श्योपुर म.प्र.
............निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शासन
..........गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा–50 विरूद्व न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग मुरैना के प्र.कं. 157 / 05–06 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.01.10

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि ग्राम कराहल तह.कराहल जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे कं. 1406 मे से रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर निगरानीकर्ता काबिज होकर खेती करता आ रहा है। निगरानीकर्ता का कब्जा उसके पिता तथा पितामाह के समय से निरंतर चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर निगरानीकर्ता ही काबिज है। निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि को अपने नाम करने हेतु विचारण न्यायालय तहसीलदार कराहल के समक्ष **म.प्र.कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984** के तहत आवेदन पेश किया। जहां पर मौके की जॉच कराई गई और निगरानीकर्ता ने अपनी साक्ष्य पेश की गई। प्रकरण आदेश हेतु रखा गया। तहसीलदार कराहल द्वारा आदेश करने से पूर्व अपर कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर ने निगरानीकर्ता के भूमि नाम करने के प्रकरण को स्वमोटो में तलब कर लिया और अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर द्वारा जॉच कराते हुए तथा सम्पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन करने के पश्चात निगरानीकर्ता को शर्तो के अंतर्गत आने से भूमि का व्यवस्थापन अर्थात भूमि को नाम किये जाने हेतु तहसीलदार कराहल को निर्देशित किया गया। तहसीलदार कराहल द्वारा प्रकरण अपर कलेक्टर श्योपुर से वापिस प्राप्त होने पर वरिष्ठ के आदेश की अवहेलना करते हुए नियमों के प्रतिकूल कार्य कर राजस्व निरीक्षक कराहल को पुरः जॉच हेतु सौप दिया, जो कि नियम विरूद्व होकर अवैध था और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट निगरानीकर्ता को सुने बिना तैयार कराकर रिपोर्ट के आधार पर निगरानीकर्ता का व्यवस्थापन आवेदन सर्वे नं. की टेकनिकल त्रृटि (सर्वे नं. 1406 के

कमंशः..............2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2187/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3-11-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 157/05–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.01.2010 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम कराहल में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1406 में से रकवा 4 बीघा 11 विस्वा भूमि पर आवेदक काबिज होकर खेती करता आ रहा है, तथा निगरानी कर्ता का कब्जा उसके पिता तथा पितामह के समय से निरन्तर चला आ रहा है। तथा आज भी मौके पर निगरानी कर्ता का कब्जा है, इसलिये निगरानी कर्ता द्वारा उक्त भूमि को अपने नाम कराने हेतु विचारण न्यायालय तहसील दार कराहल के समक्ष म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के तहत् आवेदन पेश किया। जहॉ पर मौके की जॉच करायी गयी। और निगरानी कर्ता द्वारा अपनी साक्ष्य पेश की गयी। प्रकरण आदेश हेतु रखा गया तहसीलदार कराहल द्वारा आदेश करने के पूर्व अपर कलेक्टर श्योपुर ने निगरानी कर्ता के भूमि नाम करने के प्रकरण को स्वमोटो में लिया गया। और अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा सम्पूर्ण जॉच करने के पश्चात् निगरानी कर्ता को शर्तो के अन्तर्गत आने से भूमि का व्यवस्थापन अर्थात् भूमि को नाम किये जाने हेतु तहसीलदार कराहल को निर्देशित किया। तत्पश्चात् वरिष्ठ न्यायालय की अवहेलना करते हुये नियमों के प्रतिकूल कार्य कर	

राजस्व निरीक्षक कराहल को पुनः जॉच हेतु सौपा दिया। और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट निगरानी कर्ता को सुने बिना तैयार कराकर रिपोर्ट के आधार पर निगरानी कर्ता का व्यवस्थापन आवेदन सर्वे नं. की तकनीकी त्रुटि सर्वे नं. 1406 के स्थान पर मात्र एक दस्तावेज में 406 अंकित हो जाने को आधार मांगकर निरस्त कर दिया। निगरानी कर्ता ने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अपर कलेक्टर श्योपुर के न्यायालय में की गयी। जहॉ प्रकरण क्रमांक 165/2000–01 कायम करते हुये आदेश दिनांक 13.09.2001 से निगरानी स्वीकार कर ग्राम कराहल की भूमि सर्वे क्रमांक 1406 रकवा 4 बीघा 11 विस्वा का भूमि स्वामी निगरानी कर्ता को घोषित किया और पटवारी अभिलेख में निगरानी कर्ता का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर श्योपु के आदेश के विरूद्व असबंधित व्यक्ति रणजीत सिंह के नाम से मुख्त्यारआम करके बख्शी सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाट द्वारा निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को पेश की गयी जो आदेश दिनांक 23.01.2010 से स्वीकार कर अपर कलेक्टर श्योपुर का आदेश दिनांक 13.09.2001 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जो निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी उसे प्रस्तुत करने का उन्हे अधिकार ही नहीं था। क्योंकि वह विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे। और न ही वह प्रकरण में पारित आदेश से व्यथित एवं दुखित पक्षकार है। ऐसी स्थिति में उनकी ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक त्रुटि की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में दस्तावेजो की विधिवत् जॉच कर

आवेदक के हित मे व्यवस्थापन कर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त किये गये थे। जिसे बिना किसी कारण के अपर आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त न्यायालय का आदेश विधिवत् एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने एवं अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 13.09.2001 को स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा वर्तमान प्रकरण में विधिवत् एवं उचित आदेश पारित किया है क्योंकि भूमि सर्वे क्रमांक 1406 श्योपुर शिवपुरी मार्ग पर स्थित है जो वेस कीमती है। और नगरीय भूमियॉ भविष्य में नगर के विकास एवं शासन की कार्यालयीन भवनों एवं अन्य प्रकार के भवनो पर प्रयोग के लिये आरक्षित होना चाहिये। इस प्रकार अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5— उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को भूमि स्वामी स्वत्व का व्यवस्थापन विधिवत् जॉच उपरान्त अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा आदेश दिनांक 13.09.2001 से किया गया है। तथा विवादित भूमि पर आवेदक का विगत 30 वर्षो से कब्जा कास्त करके माना गया है इस संबंध में प्रकरण में विधिवत् रूप से साक्ष्य ली गयी है तथा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है जिसे पूर्व मे अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया गया था और जॉच की जाकर भूमि स्वामी अधिकारो का व्यवस्थापन किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार कराहल को प्रेषित किया था। जिसके पश्चात् भी विधिवत् जॉच की गयी थी। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के समक्ष असबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निगरानी के आधार पर कालपनिक

स्थिति के अनुसार आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम इस प्रश्न का निराकरण करना चाहिये था कि निगरानी कर्ता रणजीत सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाट का वर्तमान प्रकरण से क्या संबंध है तथा उसे इस प्रकरण में क्या अधिकार प्राप्त है तथा उसकी ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य है अथवा नहीं। किन्तु इस प्रकरण में अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थितियों को नजर अंदाज कर आदेश पारित किया है जो किसी भी स्थिति में वैधानिक नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 157/05—06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.01.2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 165/2000—01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.09.2001 स्थिर रखा जाता है, तथा तहसीलदार कराहल को निर्देशित किया जाता है, कि भूमि सर्वे क्रमांक 1406/1 रकवा 4 बीघा 11 विस्वा पर आवेदक का नाम पूर्ववत् भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज करें।

सदस्य